



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612088/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F37(2)/ नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018 / 3738

दिनांक:- 14.02.2018

—:कार्यवाही विवरण:— (जोन पूर्व)

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 01/2018 वीं बैठक दिनांक 07.02.2018 को अपराह्न 12.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

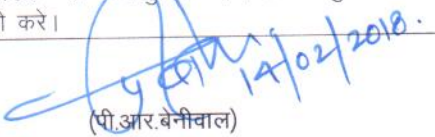
क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	01	राजस्व ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 129/1 के रकबा 04-15 बीघा का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री बिरमाराम पुत्र श्री सुखाराम (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- - आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 के अंतर्गत परिधी नियन्त्रण क्षेत्र में आरक्षित है, मास्टर प्लान के प्रावधानानुसार अनुसार परिधी नियन्त्रण क्षेत्र में फॉर्म हाउस अनुज्ञेय है। - आवेदित भूमि सोडर की ढाणी-नान्दडा खुर्द वाली सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार जोन की चैक लिस्ट अनुसार मौके पर 40 फीट उपलब्ध है तथा ले-आउट प्लान में उक्त सड़क 100 फीट प्रस्तावित की गयी है। - आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार ले-आउट प्लान में 100 फीट प्रस्तावित की गयी है, उक्त राजस्व रास्ता की मार्गाधिकार का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। - आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। - जोन की चैक-लिस्ट अनुसार इलेक्ट्रीक लाईन गुजर रही है, जो 100 फीट सड़क के मार्गाधिकार में स्थित है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - - प्रकरण में आवेदित भूमि को बिन्दु संख्या 02 के अनुसार पहुंच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखे जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। - प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। - अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। - प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है। अतः भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। - उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी स्वयं की होगी। - अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) विभाग को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे। - आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
2.	02	राजस्व ग्राम बिरामी के खसरा संख्या 116 मीन/01 के रकबा 36-08 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।	समिति को अवगत करवाया गया कि :- आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 80 फीट पहुंच मार्ग हेतु खसरा संख्या 167/5 रकबा 14.3.12 बीघा के खातेदार द्वारा 80 फीट रास्ते के लिए सहमति प्रदान की गई है।

		आवेदक :- श्री गोविन्द राम पुत्र श्री मानाराम (जोन पूर्व)	2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार 4 हैक्टेयर से अधिक व 20 हैक्टेयर से कम के क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर पहुँच मार्ग आवश्यक है। 3. प्रकरण को पूर्व में बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 15.12.2017 को निर्णयार्थ रखा गया था, जिसमें लिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थी को 24 मीटर पहुँच मार्ग उपलब्ध कराये जाने बाबत सूचित करने व मार्ग की उपलब्धता उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। 4. प्रकरण को पूर्व में बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 15.12.2017 में लिये गये निर्णय के कम में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या-167/5 के खातेदार का 80 फीट सड़क हेतु सहमती पत्र संलग्न किया गया है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. आवेदित भूमि को बिन्दु संख्या 01 अनुसार न्यूनतम आवश्यक 80' पहुँच मार्ग खसरा संख्या 167/5 रकबा 14.3.12 बीघा के खातेदार की भूमि से उपलब्ध हो रहा है। अतः उक्त 80 फीट भूमि हेतु प्रार्थी से समर्पणनामा लिया जाकर पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा अपने स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित सरदार समन्द से बिरामी गांव की ओर जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। 3. आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिमी दिशा में नदी स्थित है, उक्त नदी की बाहरी सीमा के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी होगी, जिसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य अनुज्ञेय नहीं होगा। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है। अतः भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादायी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 8. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) विभाग को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे। 9. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
3.	03	राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 8/6/1, 8/8/1 के रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत । आवेदक :- श्रीमती सुशीला (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. आवेदित भूमि खारडा रणधीर जाने वाले राजस्व रास्ते पर स्थित है, मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 120 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। 2. पत्रावली में संलग्न ले-आउट प्लान अनुसार आवासीय 57.16 प्रतिशत, व्यवसायिक 02.83 प्रतिशत, पार्क 02.78 प्रतिशत व सड़क 37.23 प्रतिशत प्रस्तावित है, जिसमें बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 10.04.2017 में लिये गये निर्णय अनुसार 5 प्रतिशत पार्क/सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। 3. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के तरमीमशुदा नक्शे अनुसार भू-उपयोग की विस्तृत जाँच उपरान्त प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
4.	04	राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 35/1, 35/2 व 35/6 के रकबा 19-04 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग जोन की चैक लिस्ट अनुसार 40 फीट उपलब्ध हो रहा है। 2. जोधपुर मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित 100 फीट सड़क के निर्धारण के

		अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- श्री राजेश व श्री मोतीलाल (जोन पूर्व)	सम्बन्ध में प्रकरण पूर्व में दिनांक 19.07.2017 की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, समिति में लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यालय के आदेश क्रमांक 1300, दिनांक 01.08.2017 द्वारा अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता(पूर्व), तहसीलदार (पूर्व) व पटवारी (पूर्व) की समिति का गठन कर मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क का एलाइन्मेंट व पार्क की स्थिती सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में समिति द्वारा मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क को ले-आउट प्लान में अंकित करना प्राधिकरण की आयोजना शाखा से अपेक्षित है, की रिपोर्ट प्रेषित की गयी। 3. प्रकरण को पुनः भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 15.12.2017 में निर्णयार्थ रखा गया, जिसके निर्णय अनुसार "सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित क्षेत्र का भू-उपयोग आस-पास के अनुमोदित ले-आउट प्लान को एग्जाई कर मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सड़क का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया"। 4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 24.05.2017 के क्रम में परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार प्रकरण में जोधपुर मास्टर प्लान-2023 में न्युअल बना होने से मास्टर प्लान पर खसरा सुपरईम्पोज करने पर सड़क के जंकशन से करने पर खसरा प्लान में दर्शित नदी मास्टर प्लान में दर्शित नदी को पार कर जाती है तथा मास्टर प्लान में दर्शित नदी से खसरा प्लान सुपरईम्पोज करने पर सड़क के जंकशन मिलान नहीं करते हैं। उक्त स्थिती के चलते मास्टर प्लान में सड़क के जंकशन व नदी के मध्य प्रस्तावित सड़क के एलाइन्मेंट में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः प्रकरण में मास्टर प्लान में सड़क के जंकशन व नदी के मध्य की दूरी का औसत जिसका विस्तृत टिप्पणी पत्रावली के पैरा-8 पर निकालते हुए मौके अनुसार सड़क के जंकशन व नदी के मध्य उक्त अनुपात अनुसार प्रस्तावित सड़क का एलाइन्मेंट खसरा प्लान पर अंकित करते हुये समिति के समक्ष उक्त सड़क का एलाइन्मेंट तय करते हुये अनुमोदन हेतु प्रेषित है, जिससे भविष्य में प्राप्त प्रकरणों का तदनुसार निस्तारण किये जा सके। उक्तानुसार एलाइन्मेंट निर्धारण किये जाने से पूर्व में अनुमोदित कोई योजना प्रभावित नहीं होती है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि- आयोजना शाखा द्वारा किये गये परीक्षणोपरान्त सड़क के जंकशन व नदी के मध्य की दूरी का आवेदित भूमि के संदर्भ में औसत अनुसार मास्टर प्लान की 100 फीट सड़क का एलाइन्मेंट तय करते हुए ले-आउट प्लान को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। 1.आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
5.	05	राजस्व ग्राम डोंगियावास के खसरा संख्या 301/10 के रकबा 02-00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (प्लेट/अपार्टमेंट एकल भूखण्ड हेतु) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- ईश्वरराम पुत्र श्री मुकाराम (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि जोधपुर-जयपुर हाइवे 100 फीट पर स्थित है, जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) के अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट व सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। 2. मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग यू-3 हेतु आरक्षित है, मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार यू-3 में आवासीय(प्लेट/अपार्टमेंट) अनुज्ञेय है। 3. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। 4. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित रास्ते की चौड़ाई का निर्धारण अपेक्षित है। समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. आवेदित भूमि जोधपुर-जयपुर हाइवे 100 फीट पर स्थित है, जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) के अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट व सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी होगी। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र

			आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 7. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
6.	06	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 462/2 के रकबा 8 बीघा भूमि का फार्म हाउस (स्कीम) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत । आवेदक :- श्री गुनाराम पुत्र श्री बीजाराम (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 के अंतर्गत परिधी नियन्त्रण क्षेत्र में आरक्षित है, मास्टर प्लान के प्रावधानानुसार अनुसार परिधी नियन्त्रण क्षेत्र में फॉर्म हाउस अनुज्ञेय है। 2. आवेदित भूमि बनाड से जाजीवाल जाने वाली सडक पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार जोन की चैक लिस्ट अनुसार मौके पर 40 फीट उपलब्ध है तथा ले-आउट प्लान मे उक्त सडक 60 फीट प्रस्तावित की गयी है। 3. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार ले-आउट प्लान मे 60 फीट प्रस्तावित की गयी है, उक्त राजस्व रास्ता की मार्गाधिकार का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। 4. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. आवेदित भूमि बनाड से जाजीवाल जाने वाली सडक पर स्थित है, उक्त सडक का मार्गाधिकार 60 फीट रखते हुये सडक हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित की जावे। 2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि आरक्षित की गई है, जिसे यथावत रखा जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 7. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) विभाग को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्रारी न की जावे। 8. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
7.	07	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 443 मीन, 444/12 के रकबा 04-05 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत । आवेदक :- श्रीमती तुलछी देवी वगैरह। (जोन	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग जोधपुर से जयपुर जाने वाली सडक से प्राप्त हो रहा है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। 2. प्रकरण मे आवासीय एकल भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया है।

	पूर्व)	समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. आवेदित भूमि जोधपुर-जयपुर हाइवे 100 फीट पर स्थित है, जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट रखा जाना होगा। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 7. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
--	--------	--


(पी.आर.बेनीवाल)

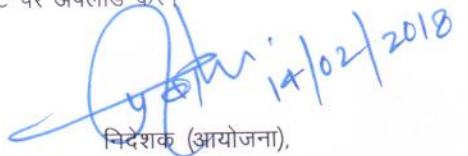
निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

दिनांक:- 14.02.2018

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018/ 3738-3744
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

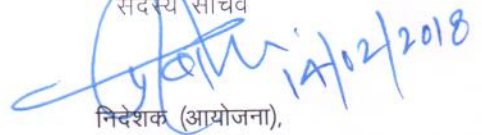
1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गोहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।


निदेशक (आयोजना),

परिशिष्ट-"1"

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2018 वीं बैठक दिनांक 07.02.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | संयोजक |
| 3. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण सिंह उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (एल.पी)